

GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, the 29th July, 1975.

NOTIFICATION

S.O. 2656 .- In pursuance of clause (i) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers of the Central Government under section 35 and section 38 of the Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised by the Administrator (Lieutenant Governor) of the Union territory of Delhi.

[No. U-11030/2/75-UTL]

H. C. Bakhshi

(H.C. BAKHSI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area (near Rajouri Garden),
Ring Road, NEW DELHI.

-: 2 :-

(भा. सं. के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 29 जुलाई, 1975

अधिसूचना

का० आ० 2656 - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसार, एतद्वारा निदेश देते हैं कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) की धारा 35 और धारा 38 के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक और आदेश न हो, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक (उपराज्यपाल) द्वारा किया जाएगा।

(सं० यू. - 110301/1175-यू० टी० स्ल०)

(हरिशं चन्द बख्शी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया,
रिंग रोड, नई दिल्ली।